आदर्श ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालय

- राजस्थान राज्य में ग्राम स्तरीय सेवाओं को लाभार्थियों एवं ग्रामीण जनता को सुलभ करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालय की अवधारणा प्रारंभ की गई है ताकि ग्राम स्तरीय कार्मिक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध हो सके तथा अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली पाक्षिक बैठक में भाग ले सके।
- इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तरीय सेवाओं को सुलभ कराने में सुधार तथा जन अभाव अभियोगसें के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था का सशक्तिकरण करना है। प्रत्येक पंचायत समिति में कम–से–कम एक ग्राम पंचायत को मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत बनाकर उसमें मिनी सचिवालय की अवधारणा लागू की जावेगी।
- सभी मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायतों में पर्याप्त सुविधायुक्त भवन व्यवस्था की जावेगी जिसमें समस्त ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिकों के बैठने में लिए पर्याप्त कमरें एवं फर्नीचर हो तथा विभिन्न विभागों की गतिविधियों से सम्बन्धित स्थानीय स्तर की समस्यों के समाधान हेतु सरपंच/अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था द्वारा ग्राम स्तरीय कार्मिकों की पाक्षिक ली जाने वाली बैठकों हेतु सभा कक्ष हो।
- मिनी सचिवालय की व्यवस्था में सभी ग्राम स्तरीय कार्मिक सरपंच/अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था के नियन्त्रण में कार्य करेगें। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक इसके प्रभारी होगें। प्रत्येक माह में दो दिवस (12 एवं 27 तारीख) को आवश्यक रूप से बैठक होगी। पंचायत की स्थायी समितियों की भी उसी दिन आयोजित की जावेगी जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को सूचिबद्ध किया जावेगा जिन पर आगामी पंचायत की बैठक में विचार–विमर्श किया जा सकेगा। प्रतिदिन आने वाले प्रार्थना पत्रों एवं जन अभाव अभियोगों के संधारण एक रजिस्टर रखा जावेगा। अन्तर विभागीय मुद्दे बैठक में चर्चा किये जावेगें तथा सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक में की जावेगी। चार या पांच पंचायतों के समूह पर जिला स्तरीय अधिकारी या विकास अधिकारी को प्रत्येक समूह का प्रभारी अधिकारी बनाया जावेगा। वे इन ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों की मोनीटरींग तथा मार्गदर्शन करेगें।।
- ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय की अवधारणा लागू करने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत बनाने हेतु 237 ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है। इन सभी चयनित 237 ग्राम पंचायतों में आदर्श ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालय की अवधारणा को व्यवहार में लागू किया जावेगा।